

ORDER - SHEET

14/1/20

(दिनेश मीणा)

आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त देपालपुर के अपराध कमांक 558/2019
अंतर्गत धारा 36 (ख) म0प्र0आबकारी अधिनियम के आरोपी

बने सिंह % जोसेफ सिंह

के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190 (1) (ख) द.प्र.सं. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दंडिक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.सं. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे।

आरोपी आज स्वयं उपस्थित हैं।

उसने प्रकट किया है कि वह स्वयं अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरुद्ध उपयोग में लिया जाकर उसे कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वह स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 36 (ख) म0प्र0आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये 500/- अक्षरी रुपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त/गण ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रुपये 500/- (अक्षरी पंज में रुपये) ई पैमेंट

0070 140/2020000657 चालान क0 0070 3450 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

जे0प्र0ए0सी0देपालपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)